

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

डीडवाना-कुचामन

अज अदालत कलक्टर,

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक लिमिटेड, के
आर एम टॉवर्स, सांतवां तल, नं. 1,
हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नई-600031

बनाम गोविन्द लाल जाति ब्राहमण ग्राम दताउ,
तहसील लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

संख्या... 28 सन् 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 02.07.2024 | <p>प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण गोविन्द लाल ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी बैंक से बिन्दुवार रिपोर्ट ली जावें। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन</p> <p>23/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के ने अप्रार्थीगण से लोन क्लियर व कठ दिया तथा अप्रार्थीगण ने किसी लोन पुका दिया व अब अप्रार्थी के क्लियर लोन बकाया नहीं। अप्रार्थी दिनांक 13/8/24 को उपस्थित रहे। उक्त सप्रार्थी सूचना के साथ दिनांक 13/8/24 को उपस्थित रहे।</p> | |
| 13/8/2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। जिला कलक्टर संघ डीडवाना ने अदालती कार्य स्वागत रखा है। पत्रावली वारंते दिनांक 03/09/2024 को पेश हो।</p> | <p>जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन</p> |

3/9/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. अर्जुन उपाध्याय।
 वरुण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण का
 अबलौकन किया। I D F C फॉर्म लेंड लि०
 लेंड द्वारा कच्ची अर्जागत में विरुद्ध
 459696/- रु. की राशि वसूली जाये
 गये। पत्रावली में उपलब्ध रैकॉर्ड अनुसार
 ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
 जो यह सिद्ध कर सके कि अर्जागत
 द्वारा किसी राशि का कर्षण लिया गया।
 अर्जागत ने तथ्यांश साबित किसी राशि
 जमा करना ही एवं अर्जागत द्वारा दिनांक
 को डिफाल्टर घोषित किया गया। अर्जागत
 कम्पनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत
 नहीं किया गया जिससे इस बात की
 जांच की जा सके कि अर्जागत को
 किस ब्याज दर से शोषित लगाई एवं
 कब से लगाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रैकॉर्ड अनुसार
 प्रस्ताव, उक्त राशि को गौविन्द लाल एवं मनोज डेवी
 को संयुक्त रूप से कर्षण स्वीकार किया गया पर
 प्रामाणिकता द्वारा स्वयंसेवा कर्षण राशि गौविन्द लाल
 के कावासीय पद पर शुद्ध से कटौत करने का
 आदेश पत्र पेश किया है। उक्त कर्मा अर्जागत द्वारा
 न्यायालय द्वारा अवधान पाठे जाते पर भी ऐसा
 कोई अवधान उल्लूक नहीं किया कि जो यह
 सिद्ध कर सके कि संयुक्त रूप से लिये गये
 कर्षण की सम्पूर्ण राशि किसी एक आवेदक
 की स्वयंसेवा से की जा सके।

आ: उक्त विषयक अनुसार उपलब्ध
 आदेश पत्र अर्जागत को देते में कुराना स्वयंसेवा किया
 जाता है पत्रावली में उक्त शुमार हेतु दायित्व फरार
 है।
 जिल्ला जलक्टर
 डीडवाना कुम्हार 4